भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 278

(20 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कर्नाटक और तमिलनाडु में मनरेगा

278. श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री डी. एम. कथीर आनन्द:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में मार्च 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान कोविड-19 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के तहत किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में मार्च 2020-जून 2021 की अवधि के दौरान मनरेगा श्रमिकों को सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग धारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं जो प्रत्येक परिवार के उन वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है।

महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन का दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक और तमिलनाडु सहित) की सरकारों के पास निहित है। मंत्रालय में महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र के लिए एक व्यापक प्रणाली मौजूद है। मंत्रालय मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकों, श्रम

बजट संशोधन बैठकों, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है।

केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य रोजगार गारंटी परिषदें समय समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता, सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्रीय दौरों के पश्चात, निष्कर्षों/कमियों एवं सिफारिशों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके स्तर पर उचित कार्रवाई करने हेतु साझा किया जाता है। लेखापरीक्षा मानदंडों को जारी किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक लेखापरीक्षा दि का योजन करने के लिए योजना नियमावली की लेखापरीक्षा और गांव के संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के अनुसार स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयां स्थापित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा का योजन करने की सलाह दी गई है। विभाग की ंतरिक लेखापरीक्षा टीमें भी नियमित लेखापरीक्षा का योजन करती हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को विधि अनुसार जांच सहित उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं जिसमें परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस), धार धारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करते हुए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर (सिक्योर) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति करना शामिल है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग धारित मंजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक और तमिलनाडु सहित) के लिए निधि रिलीज एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार योजना दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र सरकार ने मजदूरी घटक के लिए तमिलनाडु राज्य को 6317.64 करोड़ और कर्नाटक राज्य को 3993.80 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार), केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी घटक के लिए तमिलनाडु राज्य को 1169.38 करोड़ रुपये और कर्नाटक राज्य को 1276.03 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं।

*****